भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 149

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकी हमलों का खतरा

†149. श्री राजवीर सिंह :
डॉ० श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री पी०आर० सुन्दरम :
श्री नाना पटोले :
कुँवर हरिवंश सिंह :
श्रीमती के० मरगथम :
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी :
डॉ० संजय जायसवाल :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :
श्री राम चरित्र निषाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'अल-कायदा' संगठन की उस नई बनी शाखा जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लामिक राज्य में बदलने की धमकी दी है, के उद्भव से उत्पन्न खतरे के प्रति सजग है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या देश में विमान-अपहरण तथा विद्यालयों, मंदिरों, बंदरगाहों और शहरों पर आतंकी हमलों के होने की संभावना जताने वाली कोई खबर मिली है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में विशेषकर विद्यालयों पर, इस प्रकार का हमला रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लो०स०अता०प्र०सं०-149

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : जी, हां। दिनांक 3.9.2014 को इंटरनेट पर एक विडियो अपलोड किया गया था जिसमें अल-कायदा के सरगना अयमान अल-जवाहिरी ने अल-कायदा की एक नई विंग नामत् भारतीय उप-महाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) के गठन की घोषणा की। इस संगठन का कथित लक्ष्य शरियत कानून स्थापित करना तथा भारतीय उपमहाद्वीप में जिहाद का परचम लहराना है। यह पता चला है कि असीम उमर तथा उसामा महमूद को क्रमश: एक्यूआईएस का 'आमिर' और 'प्रवक्ता' नियुक्त किया गया है। अपने एक बयान में, असीम उमर ने भारतीय उप-महाद्वीप विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश, असम, गुजरात और कश्मीर के लोगों को 'उत्पीड़ितों' की श्रेणी में रखा है और यह आश्वासन दिलाया है कि वह उन्हें अत्याचारी की तानाशाही, प्रकोप और यंत्रणा से मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

(ग) से (घ) : सरकार के पास उपलब्ध आसूचना इनपुटों के अनुसार, देश के कतिपय भागों में हिंसा फैलाने के लिए विभिन्न आतंकवादी और उग्रवादी गुटों द्वारा प्रयास किए जाते हैं जिनके संबंध में हमारी विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है। तथापि, विमान अपहरण, देश में स्कूलों, मंदिरों, बंदरगाहों और शहरों पर आतंकवादी हमलों के बारे में सूचित करने के लिए केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर आसूचना के आदान-प्रदान के संबंध में आसूचना एजेंसियों के बीच गति-गहन और प्रभावशाली समन्वय है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ संभावित योजनाओं और चुनौतियों के बारे में आसूचना इनपुटों का नियमित आधार पर आदान-प्रदान किया जाता है। बहु-एजेंसी केन्द्र (एम ए सी) को सुदृढ़ किया गया है ताकि यह अन्य आसूचना एजेंसियों तथा राज्यों के साथ सही समय पर आसूचना के मिलान तथा आदान-प्रदान के संबंध में 24 x7 आधार पर कार्य करने में सक्षम हो सके और इससे राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सूचना का निरंतर आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है।

भारत की भूभागीय अखण्डता रक्षा करने तथा अपने लोगों के बचाव/सुरक्षा के लिए सरकार भी लगातार सभी आवश्यक कदम उठाती रहती है। हाल में, स्कूलों पर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमलों से निपटने के संबंध में सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को एक मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है।

*****